झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक– 321 दिनांक– 30/01/25

झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

एतद् द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र०	प्राधिकार	पद	रिक्ति
1	झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार	अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer)	01

2. नियुक्ति से संबंधित आवेदन, विस्तृत विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं तथा तत्संबंधी घोषणा के साथ **दिनांक–31/01/2025 से दिनांक–03/03/2025 के अपराह्न 04:00** बजे तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, स्वहस्तलिखित अथवा टंकित रूप में, समर्पित किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति का पता– **प्रधान सचिव,**
नगर विकास एवं आवास विभाग का कोषांग,
कमरा संख्या–413, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन,
धुर्वा, राँची, झारखंड पिन कोड–834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (विज्ञापन सं०– 320 दि०– 30-1-25) विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–www.jharera.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

30/01/25

(ज्ञानेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 321 राँची, दिनांक– 30/01/25

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30/01/25

सरकार के अपर सचिव।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–320 राँची, दिनांक–30/01/25

झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार की स्थापना की गई है उक्त अधिनियम के आलोक में झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 अधिसूचित है।

2. भू–संपदा क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं विनियमित करने, भू–खंड, अपार्टमेन्ट अथवा भवन, उपभोक्ता से संबंधित वादों पर अधिनिर्णयन, भू–संपदा प्रोजेक्ट की बिक्री पारदर्शी तरीके से करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं की अभिरूचि/हितों को अनुरक्षित करने का लक्ष्य है।

3. उपरोक्त क्रम में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	अहर्त्ताएँ
1	अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer)	1	Adjudicating officer shall only be a person, who is or has been a District Judge.

4. अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले हो, के लिए होगी।

5. प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के वेतन एवं भत्ते :–

5.4 प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) का वेतन एवं भत्ते निम्नवत् प्रकार से देय होंगे–

5.1.2 अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) का मासिक समेकित वेतन राज्य सरकार के प्रधान सचिव के समतुल्य होगा।

5.5 महंगाई भत्ते एवं शहर प्रतिपूरक भत्ते–

प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के लिए महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते वही मान्य होंगे जो अनुमान्य दर पर राज्य सरकार के प्रधान सचिव के लिए देय होंगे।

5.2.2 अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) अपनी नियुक्ति के समय यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हों तो उन्हें वेतन, उनके पेंशन की कुल राशि (रूपान्तरित भाग सहित) घटाकर भुगतान किया जायेगा।

5.6 छुट्टी/चिकित्सा सुविधाएँ/आवास/यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्ते झारखंड भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 के अनुसार देय होंगे।

6. अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के लिए वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 के अनुरूप होंगी।

7. झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के पद पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्र :

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तथा कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो प्राधिकार के अधिनिर्णयन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के कुशल संचालन हेतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थानः–.........................

दिनांक–......................... हस्ताक्षर

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित, 2020 विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–www.jharera.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है।

30/01/25

(ज्ञानेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–320 राँची, दिनांक–30/01/25

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30/01/25

सरकार के अपर सचिव।